

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/83/2019

अपीलार्थी:-

अरुणपाल यादव पुत्र अमर सिंह गांव  
माजरीकलां तहसील नीमराना जिला  
अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला  
कलक्टर (द्वितीय) अलवर


अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 14-10-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को प्राप्त दिनांक 30.05.19 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2005 दिनांक 10.10.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० कार्यालय को प्राप्त दिनांक 03.6.16 का लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के पत्रांक 966-67 दिनांक 7.6.19 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मजरीकलां पं०स० नीमराना को अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित की जा चुकी है। उक्त प्रा०पत्र के संबंध में तहसीलदार नीमराना को पत्रांक 37 दिनांक 24.6.19 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया है। अपीलार्थी चाही गई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो वह अपनी प्रथम अपील संबंधित विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



  
(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला कलक्टर, अलवर  
अलवर (राज०)